



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)

AIIMS Raipur

All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)

Tatibandh, GE Road,

Raipur-492 099 (CG)

कमांक/प्रशा./एम्स, रायपुर/1347

रायपुर, दिनांक 25/07/2018

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा अधीक्षक,
वित्तीय सलाहकार,
अधीक्षण अभियंता,
प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल),
लेखाधिकारी सह संविरण एवं आहरण अधिकारी,
भंडार अधिकारी (केन्द्रीय भंडार) एवं चिकित्सालय,
लेखाधिकारी 1 एवं 2,
सुरक्षा अधिकारी,
एम्स रायपुर

विषय –केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के तहत हिन्दी की संलग्न तिमाही प्रगति रिपोर्ट अनुसार प्रति तिमाही जानकारी प्रदान करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि कार्यालय द्वारा किये गये हिन्दी भाषा के कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट नियमानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना होता है। इस हेतु संलग्न प्रोफार्मा के आधार पर आप अपने-अपने विभाग से संबंधित जानकारी (प्रति तिमाही रिपोर्ट) प्रति समाप्त तिमाही के 5 दिवस के पश्चात् तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजा जाना सुनिश्चित करे, जिससे समय सीमा के भीतर रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके।

इस संबंध में पुनः अपेक्षित है कि, प्रत्येक तिमाही में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु संलग्न प्रोफार्मा के आधार पर उक्तानुसार जानकारी स्वतः ही प्रत्येक समाप्त तिमाही के पश्चात् अगले माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसे अनिवार्य समझा जावे। साथ ही आप सभी अपने अधीनस्थों को संलग्न प्रोफार्मा अनुसार जानकारी तैयार करने हेतु निर्देशित करें, जिससे आगामी तिमाही की रिपोर्ट प्रेषित करने में सरलता हो एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्राचार कर सकते हैं अथवा श्री अमित बंजारे, प्रशासनिक विभाग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

नोट – यह जानकारी एम्स, रायपुर के वेबसाईट के हिन्दी सेल मेनू में भी अपलोड कर दी गई है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

धन्यवाद,

भवदीय,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, एम्स, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. उपनिदेशक (प्रशासन), एम्स रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी, आईटी सेल, कृपया इस आदेश के साथ संलग्न तिमाही रिपोर्ट के प्रारूप को वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
4. कार्यालयीन प्रति।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट
Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/ Departments/Attached and Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

.....को समाप्त तिमाही/ Quarter ending on.

भाग-1 (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)/Part - I (To be furnished at the end of each Quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता/ Name and full postal address of the Office _____

संबंधित नोडल राजभाषा अधिकारी का फोन नं./ Phone No. of the Concerned Nodal Official Language Officer : एस.टी.डी. कोड/STD Code _____ फोन नं./Tel. No _____
ई-मेल/E:Mail _____

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात/
Documents issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963

| | | कुल संख्या / Total No. | द्विभाषी / Bilingual | केवल अंग्रेजी में / In English only |
|------|---|---------------------------|-------------------------|--|
| (क) | सामान्य आदेश / General orders | | | |
| (ख) | अधिसूचना / Notifications | | | |
| (ग) | प्रेस विज्ञप्तियां / टिप्पणियां / Press Communiques / Releases | | | |
| (घ) | संविदाएं / Contracts | | | |
| (ङ.) | करार / Agreements | | | |
| (च) | लाइसेंस / Licenses | | | |
| (छ) | परमिट / Permits | | | |
| (ज) | टेंडर के फार्म और नोटिस / Notice and forms of tenders | | | |
| (झ) | संकल्प / Resolutions | | | |
| (ञ) | नियम / Rules | | | |
| (ट) | संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागजात (रिपोर्टों के अलावा) / Official papers laid before a House or both the Houses of Parliament (Other than Reports) | | | |
| (ठ) | संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट / Administrative & other Reports laid before a House or both the Houses of Parliament. | | | |
| (ड.) | प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा) / Administrative or other Reports (Other than those laid before a House or both the Houses of parliament.) | | | |
| | कुल | | | |

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)/ Letters received in Hindi (Official Languages Rule 5)

- (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या/Total no. of letters received in Hindi _____
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए/How many letters replied against these in Hindi _____
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए/How many letters replied against these in English _____
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे/No. of letters not expected to be replied _____

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)/ Status regarding letters received in English & replied in Hindi (Applicable to offices located in 'A' & 'B' region)

| अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या / No. of letters received in English | इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए/ How many letters replied against these in Hindi | इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए / How many letters replied against these in English | इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे/ No. of letters not Expected to be replied | हिंदी पत्रों का प्रतिशत/ Percentage Of Hindi Letters |
|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 'क' क्षेत्र से/ From region 'A' | | | | |
| 'ख' क्षेत्र से/ From region 'B' | | | | |

4. भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा/Details of original letters issued

| | हिंदी में / In Hindi | अंग्रेजी में / In English | भेजे गए पत्रों की कुल संख्या / Total No. of letters issued | हिंदी पत्रों का प्रतिशत / Percentage Of Hindi Letters |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|
| (क) "क" क्षेत्र को/ To Region "A" | | | | |
| (ख) "ख" क्षेत्र को/ To Region "B" | | | | |
| (ग) "ग" क्षेत्र को/ To Region "C" | | | | |

नोट:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

5. (तिमाही के दौरान) फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां / (During quarterly) number of Notings on files/documents*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages with Notings in Hindi

अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages with Notings in English

कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या / No. of pages of total Notings

- पृष्ठों की संख्या की गणना पूर्ण अंक एवं आधा अंक में ही की जाए / Counting of no. of pages should be done in full marks and half marks only.

6. कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन संबंधी / Regarding meeting of the Official Language Implementation Committee of the office

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि / Date of the meeting of Official Language Implementation Committee

.....

(ख) बैठक से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए ?

हां/नहीं

Whether the agenda or the minutes of the meeting were issued in Hindi ?

Yes / No

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है/
The above said information has been prepared on the basis of available records and is true to my knowledge.

सम्बद्ध केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष/सम्बद्ध अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of the concerned Chairperson of the O.L.I.C of the Center/ Section Officer

नाम/Name

पदनाम/Designation

फोन नम्बर/Telephone No.

मोहर/Seal

नोट: 1. यह रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।